

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच

डी.बी. सिविल रिट याचिकासंख्या 8849/2009

मेसर्स श्री लक्ष्मी एंटरप्राइजेज, 11/2, दिल्ली गेट के बाहर, अजमेर - 305001 इसके मालिक श्री रमेश नवानी पुत्र स्वर्गीय श्री छबल दास, उम्र 53 वर्ष के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव वित्त, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से
2. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, कर भवन, जयपुर (राजस्थान)।
3. श्री भारती, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-II, कर अपवंचन निरोधक, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (राजस्थान)

----उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री अखिल सिमलोटे
उत्तरदाता(ओं) के लिए : श्री आयुष सिंह, श्री पुनित सिंघवी के लिए

माननीय श्री जस्टिस अवनीश झिंगन
माननीय श्रीमती जस्टिस शुभा मेहता
आदेश

अवनीश झिंगन, जे. (मौखिक):-

21/02/2024

1. यह रिट याचिका दिनांक 25 मई, 2009 के मांग नोटिस को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता चीनी और मैदा (आटा) की खरीद-फरोख्त का काम करता था और राजस्थान मूल्य वर्धित कर, 2003 (संक्षेप में "अधिनियम") के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी था। 22 मई, 2009 को याचिकाकर्ता ने कर सहित 2,39,616/- मूल्य के 360 बैग "मैदा" की आपूर्ति की। माल का परिवहन ट्रक संख्या आर.जे-06-जी-1321 के माध्यम से किया गया था। वाहन की जाँच की गई, अधिनियम की धारा 76 के अंतर्गत नोटिस जारी करने के बाद, याचिकाकर्ता को 25 मई, 2009 का संदिग्ध माँग नोटिस भेजा गया, जिसमें 1,49,760/- रुपये की माँग की गई।
3. याचिका में उठाई गई शिकायत यह है कि जुर्माना आदेश पारित किए बिना ही मांग नोटिस जारी कर दिया गया।

4. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने विवादित मांग नोटिस का बचाव किया और प्रस्तुत किया कि मांग नोटिस में जुर्माना की गणना की गई है।
5. दलीलों से यह स्पष्ट है कि दंड आदेश पारित किए बिना ही मांग नोटिस जारी कर दिया गया है। मांग नोटिस से पहले मांग सृजित करने वाला आदेश होना चाहिए।
6. यह मानते हुए कि डिमांड नोटिस को एक आदेश माना जाता है, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने नोटिस का जवाब दाखिल किया था। डिमांड नोटिस में कोई तर्क नहीं है और जुर्माना लगाते समय जवाब पर विचार नहीं किया गया।
7. इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत न केवल अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों तक, बल्कि उन प्रशासनिक कार्रवाइयों तक भी लागू हैं जहाँ कार्यवाही का परिणाम सिविल परिणामों में परिणत होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मेसर्स क्रांति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम श्री मसूद अहमद खान एवं अन्य, 2010(9) एससीसी 496** में निम्नलिखित निर्णय दिया था:

“क. भारत में न्यायिक प्रवृत्ति हमेशा से ही कारणों को दर्ज करने की रही है, यहां तक कि प्रशासनिक निर्णयों में भी, यदि ऐसे निर्णय किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

ख. अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को अपने निष्कर्षों के समर्थन में कारण दर्ज करने होंगे।

ग. कारणों को दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य न्याय के व्यापक सिद्धांत की पूर्ति करना है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए कि न्याय किया गया है।

घ. कारणों को दर्ज करना न्यायिक और अर्ध-न्यायिक या यहां तक कि प्रशासनिक शक्ति के किसी भी संभावित मनमाने प्रयोग पर एक वैध संयम के रूप में भी कार्य करता है।

ड. कारण यह आश्वस्त करते हैं कि निर्णयकर्ता द्वारा प्रासंगिक आधारों पर तथा बाह्य विचारों की उपेक्षा करके विवेक का प्रयोग किया गया है।

च. न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और यहां तक कि प्रशासनिक निकायों द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की सेवा करने के समान ही तर्क वस्तुतः निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अपरिहार्य घटक बन गया है।

छ. कारण उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं।

ज. विधि-शासन और संवैधानिक शासन के प्रति प्रतिबद्ध सभी देशों में प्रचलित

न्यायिक प्रवृत्ति प्रासंगिक तथ्यों पर आधारित तर्कसंगत निर्णयों के पक्ष में है। यह वस्तुतः न्यायिक निर्णय लेने की जीवनरेखा है जो इस सिद्धांत को प्रमाणित करती है कि तर्क ही न्याय की आत्मा है।

झ. आजकल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निर्णय भी उतने ही भिन्न हो सकते हैं जितने कि उन्हें देने वाले न्यायाधीश और प्राधिकारी। इन सभी निर्णयों का एक ही उद्देश्य है, और वह है तर्क द्वारा यह प्रदर्शित करना कि प्रासंगिक कारकों पर निष्पक्ष रूप से विचार किया गया है। न्याय प्रणाली में वादियों का विश्वास बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है।

ञ. न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों के लिए तर्क पर जोर देना आवश्यक है।

ट. यदि कोई न्यायाधीश या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं है, तो यह जानना असंभव है कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति मिसाल के सिद्धांत के प्रति या वृद्धिवाद के सिद्धांतों के प्रति वफादार है।

ठ. निर्णयों के समर्थन में तर्क ठोस, स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। तर्कों का दिखावा या "रबर-स्टाम्प तर्क" को वैध निर्णय लेने की प्रक्रिया के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।

ड. इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायिक शक्तियों के दुरुपयोग पर लगाम लगाने के लिए पारदर्शिता अनिवार्य है। निर्णय लेने में पारदर्शिता न केवल न्यायाधीशों और निर्णयकर्ताओं को गलतियाँ करने से बचाती है, बल्कि उन्हें व्यापक जाँच के दायरे में भी लाती है।

ढ. चूंकि कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता निर्णय लेने में निष्पक्षता के व्यापक सिद्धांत से उत्पन्न होती है, इसलिए उक्त आवश्यकता अब वस्तुतः मानवाधिकारों का एक घटक है और इसे स्ट्रासबर्ग न्यायशास्त्र का हिस्सा माना जाता था।

ण. सभी सामान्य विधि क्षेत्राधिकारों में, निर्णय भविष्य के लिए मिसाल कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, विधि के विकास के लिए, निर्णय के लिए कारण बताना अनिवार्य है और वस्तुतः "उचित प्रक्रिया" का एक हिस्सा है।

8. वैकल्पिक उपाय के बावजूद, रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि विवादित मांग प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। यह मामला **व्हालपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स, (1998) एससीसी 1** मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अपवादों के अंतर्गत आता है।

9. रिट याचिका स्वीकार की जाती है। 25 मई, 2009 का मांग नोटिस अपास्त किया जाता है। मामला उत्तरदाता संख्या 2 - आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, कर भवन, जयपुर

(राजस्थान) को दिनांक 25 मई, 2009 के नोटिस के अनुसरण में विधानुसार कार्यवाही हेतु वापस भेजा जाता है।

(शुभा मेहता), जे

(अवनीश झिंगन), जे

प्रीति असोपा/20

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate